अयोध्या में 32 हजार स्वयंसेवक बिछाएंगे 28 लाख दीप

राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारी

त्रियुग नारायण तिवारी
अयोध्या, 30 अगस्त।

श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष 25 लाख दीए जलाए गए थे। इस बार 32 हजार स्वयंसेवक की सेना उतरेगी, जो दीपों को सजाने और प्रज्वलित करने का कार्य संभालेगी। 19 अक्तूबर की शाम को होने वाला यह आयोजन लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी से और भी आकर्षक होगा।

प्रशासन ने इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या के एडीएम सिटी योगेंद्र पाण्डेय को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों से 20 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो आयोजन की हर बारीकी पर नजर रखेंगे। दीपोत्सव की तैयारियों में स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। राम की पैड़ी को दीपों से सजाने के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो भगवान राम की लीलाओं को दर्शाएंगे। इन दीपों को जलाने के लिए सरसों तेल और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग होगा, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।

रामकथा पार्क तक जाएंगी झांकियां

सूचना विभाग की ओर से साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियों का आयोजन किया जाएगा। ये झांकियां रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत करेंगी और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी। इन झांकियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा, जिससे दर्शकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। झाकियां यहां से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मेडिकल टीमें भी तैनात रहेंगी। स्वच्छता के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, ताकि राम की पैड़ी और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर बना रहे।

फाइल

राज्य सरकार का राम की पैड़ी पर 26.11 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य, 20 नोडल अधिकारी तैनात। लेजर लाइट व ग्रीन आतिशबाजी से सजेगी 19 अक्तूबर की शाम, साकेत महाविद्यालय से निकालेगा 11 झांकियां।

कब कितने दीप जले

वर्ष	जले दीप
2017	1.71 लाख
2018	3.01 लाख
2019	4.04 लाख
2020	6.06 लाख
2021	9.41 लाख
2022	15.76 लाख
2023	22.23 लाख
2024	25 लाख

मंत्रमुग्ध हो जाएंगे पर्यटक व श्रद्धालु

19 अक्तूबर की शाम को लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगा। यह आतिशबाजी पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। दीपोत्सव के इस आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की भी भारी भीड़ की उम्मीद है। रामलीलाओं का होगा मंचन। पिछले वर्ष सरयू में सामूहिक सरयू आरती का विश्व कीर्तिमान बना था। इस बार फिर सामूहिक विश्व कीर्तिमान सरयू आरती का बनाने का प्रयास किया जाएगा।

भारत को तकनीक व नवाचार पर करना होगा काम : राजनाथ

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 अगस्त।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज तकनीक और ज्ञान के रूप में साम्राज्यवाद का नया रूप आ गया है। भारत किसी भी साम्राज्यवाद को नहीं मानता है, इसके लिए तकनीक व नवाचार पर काम करना होगा। देश का भविष्य नवाचारी युवाओं के हाथों में है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा फेज टू स्थित रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एअरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एअरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया किया। जहां अत्याधुनिक ड्रोन और 'इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम' का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद 'एअरक्राफ्ट इंजन' और 'डिफेंस एअरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी' का लोकार्पण हुआ।

इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के ड्रोन प्रारूप और उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस कंपनी के ड्रोन का इस्तेमाल आपरेशन सिंदूर में भी हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश के रूप में भारत की स्थिति आसान नहीं रही है। बड़ी शक्तियों ने हमें रोकने का प्रयास किया है। 1998 में जब अटल बिहारी बाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, तो हम पर कितने प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी भारत नहीं रुका। आज भारत उभरती हुई तकनीकी के रूप में आगे बढ़ रहा है। बदलते युग में आत्मनिर्भरता आज की आवश्यकता है और देश के स्वाभिमान के लिए जरूरी है। भारत तकनीक के लिहाज से किसी देश से पीछे नहीं हैं, जो आपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। हमारी सेना ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। नई सोच व नई तकनीक के तहत रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया गया है।

आज हमारे सारे प्रयास रंग ला रहे हैं। कठिन परिश्रम व सकारात्मक सोच से असंभव को संभव बनाया जा सकता है।

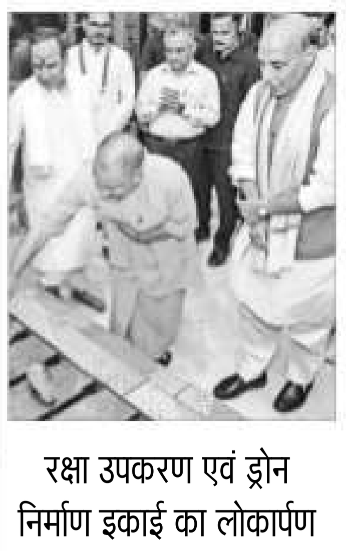

रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री योगी।

नए युग की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपनी के सीईओ विशाल मिश्रा व विवेक मिश्रा 'एअरोक्राफ्ट टेस्ट फेसिलिटी' को विकसित के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नए युग की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश ने साढ़े 12 हजार हेक्टेयर जमीन रक्षा गलियारे के लिए उपलब्ध कराई है। रक्षामंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ को चुना है। अब लखनऊ ब्रह्मोस से पहचाना जाएगा। आपरेशन सिंदूर में दुनिया ने ब्रह्मोस का पराक्रम देखा है।

पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति गिरफ्तार

बुलंदशहर, 30 अगस्त (जनसत्ता)।

बुलंदशहर में 23 जुलाई को थाना डिबाई क्षेत्र अंतर्गत कसेर कलां गांव में कब्रिस्तान के पास एक महिला आशिया (25) का शव मिला था। इस संबंध में थाना डिबाई में मृतका के भाई आस मोहम्मद की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मृतका के पति आसिक को शनिवार को कसेर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तेजवीर सिंह के अनुसार, पूछताछ के दौरान मृतका के पति ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति से बात करती है और उसका उससे संबंध है।

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय - 21, एनएस रोड, कोलकाता - 700001. | सीआईएन: L15492WB1924GOI004835
दूरभाष संख्या: 033 2222 5612 ई-मेल: bhavsar.k@balmerlawrie.com
वेबसाइट: www.balmerlawrie.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

क. 108वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 108वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे घनश्याम दास बिड़ला सभागार, 29, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता-700019 में आयोजित की जाएगी।

108वीं एजीएम की सूचना (ई-वोटिंग निर्देश, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और एजीएम स्थल के रूट मैप सहित) और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 (दिन के अंत तक) तक कंपनी के शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को भेज दी गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत थे और अनुमत मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जिसमें सटीक पाथ भी शामिल है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा गया था, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं थी।

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **https://www.balmerlawrie.com/investors/general-meetings-postal-ballot-and-annual-report** पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं यानी **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन) (ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता एजेंसी) की वेबसाइट **https://www.evoting.kfintech.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') द्वारा 108वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों पर केफिन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:
रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: सोमवार, 22 सितंबर 2025 सायं 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

केवल वही सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम की उपरोक्त सूचना में निहित निर्देशों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान प्रदान की गई ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

कंपनी के वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में वर्णित तरीकों से मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') को सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित आईएसआर फॉर्म जमा करें। सदस्य मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032, ईमेल - **einward.ris@kfintech.com**, फोन नंबर-1800 309 4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य पंजीकरण, ईमेल और अन्य विवरणों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं।

कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी 108वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति, जिसने नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर अर्जित किए हों और कंपनी का सदस्य बना हो और जिसके पास कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक शेयर हैं, वह **evoting@kfintech.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल या सीडीएसएल में पंजीकृत हैं, तो कृपया नोटिस में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करें।

संपर्क विवरण: यदि आपके पास केफिन ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप **einward.ris@kfintech.com** पर ई-मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री जी रामदास, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 को संबोधित की जा सकती हैं, या **einward.ris@kfintech.com** पर ई-मेल भेज सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं।

एन. के. एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, (सदस्यता संख्या एफसीएस 5935 और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या 3725) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो।

वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा के बाद, इसका भुगतान ऐसी घोषणा की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर उन शेयरधारकों को किया जाएगा जो रिकॉर्ड तिथि अर्थात मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) को कंपनी के शेयर धारण कर रहे होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 23 जून, 2025 के मास्टर परिपत्र संख्या **SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91** के अनुसार, जिन शेयरधारकों के पास भौतिक शेयर हैं और जिन्होंने अभी तक कंपनी के साथ अपने पैन और केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि 1 अप्रैल, 2024 से, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन और केवाईसी प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अतः, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त मास्टर परिपत्र में निर्धारित आवश्यक प्रपत्रों और दस्तावेजों को विधिवत भरकर कंपनी/आरटीए को आवेदन करें। संबंधित फॉर्म कंपनी की वेबसाइट **https://www.balmerlawrie.com/investors/shareholder-s-iepf-claimant-s-information** पर और मेसर्स, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आरटीए की वेबसाइट **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx** पर भी उपलब्ध हैं।

ख. केवाईसी, बैंक अधिदेश और अन्य संबंधित अद्यतनीकरण तथा शेयरधारकों तक पहुंच के लिए 28 जुलाई 2025 से 6 नवंबर 2025 तक 100 दिवसीय अभियान, 'सक्षम विनिधानकर्ता' ताकि अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित होने से रोका जा सके।

यह संदर्भ संख्या - कंप्यूटर संख्या 284174 और ई-फाइल संख्या **30/06/2025-IEPFA** दिनांक 16 जुलाई, 2025 के परिपत्र का संदर्भ है, जो विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय अभियान - 'सक्षम विनिधानकर्ता' के संबंध में जारी किया गया था।

उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में, कंपनी भी अपनी विनम्र भूमिका निभा रही है। इस प्रकार, कंपनी के उन शेयरधारकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनके लाभांश का दावा नहीं किया गया है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यह अभियान विशेष रूप से शेयरधारकों तक पहुँचने और उनके केवाईसी, बैंक अधिदेश, संपर्क जानकारी आदि को अद्यतन करने के लिए शुरू किया गया है।

अभियान चक्र की समयावधि - 28 जुलाई 2025 से 6 नवंबर 2025 तक।

इस संबंध में, सभी शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे:
- **अपने फोलियो/डीमैट खाते में अपने केवाईसी, बैंक अधिदेश, संपर्क जानकारी और अन्य विवरण तुरंत अपडेट करें और**
- **वित्तीय वर्ष 2017-18 से लाभांश का दावा करें ताकि अदावाकृत लाभांश और इक्विटी शेयरों को विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में स्थानांतरित होने से रोका जा सके।**

कंपनी के सभी शेयरधारकों, जो भौतिक रूप से शेयर धारण कर रहे हैं, से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए वेबलिंक से फॉर्म डाउनलोड करें और उपरोक्त पते पर आरटीए से संपर्क करें:
https://www.balmerlawrie.com/investors/shareholder-s-iepf-claimant-s-information

इसके अलावा, कंपनी के शेयरधारकों, जो डीमैट मोड में शेयर धारण कर रहे हैं, से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें।

16 जुलाई, 2025 के प्रासंगिक परिपत्र के साथ अपेक्षित सूचना कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है:
https://www.balmerlawrie.com/storage/files/websiteblsakshamniveshak.pdf

ग. भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो (7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 तक) के लिए सूचना

यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 2 जुलाई 2025 के परिपत्र संख्या - **SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD/P/CIR/2025/97** का संदर्भ है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए एक विशेष विंडो खोलने के संबंध में है।

अपेक्षित सूचना कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है:
https://www.balmerlawrie.com/storage/files/websiteblspecialwindow.pdf

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसरण में, निवेशकों को केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने का अवसर देने के लिए एक विशेष विंडो उपलब्ध कराई गई है, जो 1 अप्रैल 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। यह विंडो 7 जुलाई 2025 से उपलब्ध कराई गई है और 6 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त तिथि के बाद कोई पुनः दाखिल करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित दस्तावेजों के साथ भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को अनुमत समय अवधि के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास पुनः दाखिल किया जा सकता है।

इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की जाने वाली प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट मोड में जारी की जाएँगी, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

उपरोक्त क्रमांक ख और ग के संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने अनुरोध दर्ज कराने के लिए नीचे दिए गए पते पर आरटीए से संपर्क करें: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट संख्या- 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032, या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेजें या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर कॉल करें।

हम सभी शेयरधारकों को उपरोक्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए
कविता भावसार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एफ4767

दिनांक: 30 अगस्त, 2025

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.
THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

AUSTERE SYSTEMS LIMITED
CORPORATE IDENTITY NUMBER: U74900PN2015PLC155381

Our Company was originally incorporated as 'Austere Systems Private Limited' a private limited company under the Companies Act, 2013 at Pune, Maharashtra, pursuant to a certificate of incorporation dated June 12, 2015, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Pune ("RoC"). Thereafter, name of our Company was changed from 'Austere Systems Private Limited' to 'Austere Systems Limited', consequent to conversion of our Company from private to public company, pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company on March 18, 2024, and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the RoC on July 29, 2024. Our Company's Corporate Identity Number is U74900PN2015PLC155381. For details of change in Registered office of our Company, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 130 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Office 301-303, A Square, Plot No. 34 ADC Sector 26, Pradhikaran, Pune, Maharashtra, India, 411044
Tel: +91 97738 23372 **Website:** www.austeresystems.com; **E-mail id:** compliance@austere.co.in
Contact Person: Ms. Shampa Juneja, Company Secretary and Compliance Officer;

OUR PROMOTERS: MR. RAHUL GAJANAN TENI, MR. PIYUSH GUPTA AND MR. SHIKHIR GUPTA

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 28,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF AUSTERE SYSTEMS LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SECURITIES PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [•] HUNDREDS (THE "ISSUE") OF WHICH 1,42,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH AGGREGATING UPTO ₹ [•] HUNDREDS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ [•] HUNDREDS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.01 % AND 25.65 % RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS

In reference to the Red Herring Prospectus dated 26th August, 2025, On Page no. 212 of Red Herring Prospectus changes are made under Minimum and Maximum Bid size under Issue Structure. Thus, investors should note the following:

Particulars of the Issue [2]	Market Maker Reservation Portion	QIBs	Non-Institutional Applicants	Individual Investors
Minimum Bid Size	[•] Equity Shares in multiple of [•] Equity shares	Such number of Equity Shares and in multiples of [•] Equity Shares that shall be more than 2 lots and the Bid Amount exceeds ₹ 200,000	Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares that shall be more than 2 lots and Bid size exceeds ₹ 200,000	Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares such that the minimum bid size shall be 2 lots with application of above Rs.2,00,000.
Maximum Bid Size	[•] Equity Shares	Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares not exceeding the size of the Net Issue, subject to applicable limits	Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares not exceeding the size of the Net Offer (excluding the QIB Portion), subject to applicable limits.	Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares such that the minimum bid size shall be 2 lots with application of above Rs. 2,00,000.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
GYR Capital Advisors Private Limited 428, Gala Empire, Near JB Tower, Drive in Road, Thaltej, Ahemdabad-380 054, Gujarat, India. Telephone: +91 8777564648 E-mail id: info@gyrcapitaladvisors.com Website: www.gyrcapitaladvisors.com Investor Grievance e-mail ID: investors@gyrcapitaladvisors.com Contact Person: Mohit Baid SEBI Registration Number: INM000012810 CIN: U67200GJ2017PTC096908	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Address: Selenium Tower- B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032, Telangana, India. Tel No.: +91 40 6716 2222 Fax: +91 40 2343 1551 Website: www.kfintech.com Email: austere.ipo@kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com Contact Person: Mr. M Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221	Ms. Shampa Juneja AUSTERE SYSTEMS LIMITED Address: Office 301-303, A Square, Plot No. 34 ADC Sector 26, Pradhikaran, Pune, Maharashtra, India, 411044 Telephone: +91 97738 23372 E-mail: compliance@austere.co.in Website: www.austeresystems.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode.

For AUSTERE SYSTEMS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
CS Shampa Juneja
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Pune
Date: August 30, 2025

Disclaimer: AUSTERE SYSTEMS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated August 26, 2025 with the RoC. The RHP shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., GYR Capital Advisors Private Limited at www.gyrcapitaladvisors.com, the website of the BSE SME at www.bseindia.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" beginning on page 32 of the RHP.
The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated.

बंगाल : कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, 30 अगस्त (भाषा)।

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर हुए हमले के सिलसिले में शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक संतोष राजवा को उसके दो साथियों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरों पर कथित तौर पर कालिख पोतने, तख्तियों और तोरणों को फाड़ने और घटनास्थल पर मौजूद लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा, 'तीनों आरोपी अन्य समर्थकों के साथ सीआइटी रोड स्थित कार्यालय के बाहर टायर जलाने और परिसर में घुसने की कोशिश में भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक, वह मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता राकेश सिंह और कांग्रेस की शिकायत में नामित अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अधिकारी ने कहा, 'हम प्रकरण की जांच कर रहे हैं। सिंह तथा अन्य को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

कोल इंडिया में मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि

कोलकाता, 30 अगस्त (जनसत्ता)।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कोल इंडिया लिमिटेड ने कोलकाता स्थित अपने कारपोरेट मुख्यालय में महान हाकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व निदेशक (मानव संसाधन) डा विनय रंजन, निदेशक (वित्त) मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) अच्युत घटक, निदेशक (व्यावसायिक विकास) आशीष कुमार और मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। हाकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की विरासत को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, मेजर ध्यानचंद की जयंती यहां हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा

दूसरी नौकरी तलाश रहे कर्मी के बकाए को रोकना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ

कोलकाता, 30 अगस्त (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दूसरी नौकरी की तलाश करना, भले ही वह प्रतिद्वंद्वी कंपनी में बेहतर सुविधाओं और लाभों के साथ क्यों न हो, एक बुनियादी अधिकार है और यह नैतिक कदाचार नहीं है। अदालत ने साथ ही कहा कि किसी कंपनी द्वारा इस आधार पर किसी कर्मचारी के बकाए का भुगतान न करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पाल) की पीठ ने इसी के साथ भारत में एक खास तरीके की इंसुलेटर फिल्म बनाने की एकमात्र निर्माता होने का दावा करने वाली कंपनी के अनुशासनात्मक आदेश और दंड को खारिज करते हुए कर्मी को 1.37 लाख रुपए की ग्रेच्युटी राशि आठ फीसद प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति दत्त ने गुरुवार को दिए गए फैसले में कहा, 'दूसरी नौकरी की तलाश करना, भले ही वह किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी में ही क्यों न हो (हालांकि इस मामले में यह साबित नहीं हुआ), जिसमें बेहतर सुविधाएं और लाभ हों एक बुनियादी अधिकार है और यह नैतिक कदाचार नहीं है, क्योंकि यह ईमानदारी, विनम्रता या अच्छे नैतिक मूल्यों के विपरीत नहीं है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि नियोक्ता को कोई नुकसान या क्षति प्रतिवादी के किसी ऐसे कृत्य के कारण हुआ था, जो उपद्रवी, अव्यवस्थित या नैतिक कदाचार से संबंधित था। न्यायमूर्ति दत्त ने कहा, 'जांच प्राधिकारी का आचरण स्पष्ट रूप से अधिकार का दुरुपयोग है और पूरी तरह से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कोई स्वतंत्र, विशिष्ट निष्कर्ष नहीं है। उन्होंने कहा, 'न तो किसी तर्क का और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया। हाई कोर्ट के समक्ष याचिका नियंत्रक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कंपनी में तकनीशियन के रूप में काम करने वाले सुदीप सामंत को ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपीलीय प्राधिकरण का आदेश तर्कसंगत है तथा ग्रेच्युटी भुगतान के प्रावधानों की सीमा तक क्षेत्राधिकार के भीतर है तथा स्पष्ट रूप से कानून के अनुरूप है।

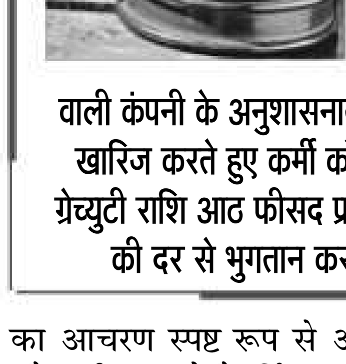

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पाल) की पीठ ने इसी के साथ भारत में एक खास तरीके की इंसुलेटर फिल्म बनाने की एकमात्र निर्माता होने का दावा करने वाली कंपनी के अनुशासनात्मक आदेश और दंड को खारिज करते हुए कर्मी को 1.37 लाख रुपए की ग्रेच्युटी राशि आठ फीसद प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया।